

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक:-एफ-2()बजट/अति.आंव./ICDS/16/ 94738-739

जयपुर,दि:
18.7.18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,
.....।

विषय:- आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी केन्द्रों हेतु रजिस्टर्स की आपूर्ति के क्रम में होने वाले परिवहन व्यय की राशि का बजट आवंटन वर्ष 2016-17 बाबत।

संदर्भ:- प्रभारी अधिकारी (भण्डार), मुख्यालय का यू.ओ. नोट क्रमांक 88605 दि. 6.7.16

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित यू.ओ. नोट के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आई.सी.डी. एस. सामान्य योजनान्तर्गत आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी केन्द्रों हेतु रजिस्टर्स की आपूर्ति हेतु निम्न लेखाशीर्ष में बजट आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-33
2236- पोषण
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
101- विशेष पोषण कार्यक्रम
(01)- समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से
[02]- एकीकृत बाल विकास योजना
05- कार्यालय व्यय (प्रबोधन एवं मूल्यांकन)-आयोजना

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	नाम कार्यालय	कुल आवंटन
1	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अजमेर	0.43
2	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर	0.41
	योग:-	0.84

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग आरटीपीपी एक्ट-12, आरटीपीपी नियम 2013 के प्रावधानों एवं उक्त कार्य हेतु पूर्व में जारी निर्देशों/नियमानुसार राशि का उपयोग सुनिश्चित करावें।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-2()बजट/अति.आंव./ICDS/16/ 94740-744
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर,दि:

18-7-18

1. प्रभारी अधिकारी (भण्डार), मुख्यालय को संदर्भित यू.ओ. नोट के क्रम में।
2. संयुक्त निदेशक (मोनेटरिंग), मुख्यालय।
3. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,.....।
4. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार